ायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

जस्व वाद संख्या : 123/2008

ादी :-

मुकनाराम पुत्र धोकलराम
जाति-कुम्हार, निवासी -बेरा
बागायत निमाज तह0-जैतारण
(जिला-पाली) राज0

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रामलाल पुत्र धोकलराम
2. नेमाराम पुत्र मादूराम
3. रमेश पुत्र मादुराम
   नाबालिग जरिए कुदरती
   वलीया माता माडकी
4. ढगलाराम पुत्र छगाराम
5. मांगीलाल पुत्र छगाराम
6. केलकी पत्नी छगाराम
7. बगदीया पुत्र भीका
8. मोहन पुत्र भीका
   जातियान-कुमावत
   निवासीगण-निमाज
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
9. तहसीलदार, जैतारण
   जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 31-05-2008**

उपस्थितः. 1. श्री राजीव लोचन चारण, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14/03/2015

वकील वादी ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् सरहद मौजा-निमाज-चक नम्बर-2 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718/1 रकबा 33.16 बिस्वा व ख.नं. 1719/1 रकबा 18.02 बीघा कुल रकबा 51.18 भूमि चा0दो0 स्थित हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 रामलाल सगे भाई हैं, जिनके पिता धोकलराम अपने जीवनकाल में अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा की लिखापढी 100/- रु के स्टाम्प पर दिनांक 14.07.1998 को की, जिसकी फोटो प्रति दावा के साथ पेश की जा रही है, जिसे दावा का एक भाग माना जावें। धोकलराम अपने खातेदारी की भूमि जो बेरा बागायत पर हैं, जिसके खसरा नम्बर 1719/1 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1/3 बंट की भूमि 6 बीघा अपने लड़के प्रतिवादी सं. 1 रामलाल को दी तथा बेरे ग बंट वादी मुकनाराम के रखा तथा बेरा खारचिया पर धोकलराम के खातेदारी की मे जिसके खसरा नम्बर 1718/1 रकबा 33-16 बीघा में से 8 बीघा भूमि वादी मुकनाराम के रखी बंट दिया। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामलाल के बेरा खारचिया पर 8 बीघा वादी मुकनाराम के रखी व शेष बची भूमि प्रतिवादी सं0 1 के रखी। बंटवाडा की लिखापढी पर धोकलराम प्रतिवादी सं. 1 रामलाल, वादी मुकनाराम के अंगुठा किए हैं तथा बंटवाडा स्वेच्छा से मंजुर किया तथा माफिक बंटवाड़ा के भूमि पर काबिज है, बंटवाड़ा की लिखापढ़ी पर अन्य लोगों के हस्ताक्षर अंगुठे हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता धोकलराम फौत हो चुके है, परन्तु अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवाडा लिखापढी दिनांक 14.07.1998 के जरिए कर देने के पश्चात भी प्रतिवादी सं. 1 रामलाल के पक्ष में दिनांक 17.11.2007 को कृषि भूमि ख.नं. 1719/1 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1/3 वां हिस्सा 6.03 बिस्वा भूमि का दान पत्र का लिखत किया गया। लिखत दान पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश की हैं। धोकलराम ने दान पत्र तकमिल करने से पूर्व इस भूमि का बंटवाड़ा कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामलाल को दे दी थी इस लिखत के जरिए म्युटेशन प्रतिवादी सं. 1 के नाम भर दिया गया। म्युटेशन 648 की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश हैं। धोकलराम द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 14.07.1998 को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर देने व बंटवाडा वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनों बेटों को मंजुर हो जाने तथा माफिक बंटवाडा कब्जा सुपुर्द कर देने के पश्चात् धोकलराम को दान पत्र तकमिल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसे दान पत्र के दस्तावेज जरिए कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त नहीं होते है इसलिए दान पत्र दिनांक 17.11.2007 को दस्तावेज वाईड है जिसे रद्ध घोषित करवाने की आवश्यक नहीं है । ऐसे वाईड दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम नामान्तकरण संख्या 648 भरा गया हैं, वह भी गलत व गैर कानूनी है, जिसे भी रद्ध घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे नामान्तकरण से प्रतिवादी सं. 1 को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। बंटवाडा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1719/1 जो बेरा बागायत पर स्थित है 6 बीघा भूमि प्रतिवादी रामलाल के बंट (हिस्सा) में रहेगी व बेरे का समस्त बंट वादी मुकनाराम के रहेगा। बेरा खारचिया की 8 बीघा भूमि को छोडकर शेष भूमि बंट में रहेगी, इससे ज्यादा भूमि नहीं रहेगी, धोकलराम फौत हो चुके है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 21.05.2008 को ग्राम निमाज में ऐलानिया कहा कि ख. नं. 1719/1 के 1/3 हिस्से की भूमि तो जरिए दान पत्र के लेली है तथा म्युटेशन भी भरा गया हैं तथा अब वह कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718/1 रकबा पौने चौतीस बीघा में से धोकलराम का 1/3 हिस्से की भूमि मे से आधा हिस्सा लेगा व आधा हिस्सा वादी का रहेगा। इस प्रकार फौतेदगी म्युटेशन भरवायेगा। जबकि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को मना किया तथा बताया कि पिताजी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.07.1989 को बंटवाडा कर लिखापढी की है, उससे पाबन्द रहों। परन्तु इस लिखापढी अनुसार म्युटेशन भरवाने व बंटवाडा करवाने से साफ इन्कार हो गया।

उपखण्ड अधिकारी
बैवारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाडा की लिखापढी अनुसार भूमि व लगान का बंटवाडा किया जाकर मौके पर पत्थर गडी की जावें, नक्शा मे तरमीम की जाकर अलग नामान्तकरण भरे जावें तथा खाता अलग अलग किया जावें इसलिए यह वाद बंटवाडा का पेश हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 8 सहकाश्तकार होने से तथा सं. 9 भूमिधारी होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से पक्षकार बनाए गए हैं। बिनायदावा दिनांक 21.05.2008 को ग्राम–निमाज में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि का बंटवाडा माफिक लिखापढी दिनांक 14.07.1998 के करने से मना करने पर तथा खसरा नम्बर 1718/1 रकबा 33–16 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अपना होने व इसी माफिक नामान्तकरण भरवाने की धमकी देने पर बमुकाम निमाज में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार मे है। इस प्रकार माफिक दावा वकील मय वादी ने उक्त वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9 को बावजूद तामिली / सूचना बार–बार आवर्जे दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 03/07/2008 तथा दिनांक 28/05/2009 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 03/07/2008 को वकील प्रति0 संख्या 1 ने वकालतनामा, जबाबदावा एवं दस्ता0 पेश किए सामिल मिसल किये गये। दिनांक 13/11/2014 को तनकियात कायम की जाकर पत्रावलीबद्ध की गई। दिनांक 08/01/2015 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने एक तहरीरी राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रति0 संख्या 1 ने परिवार व समाज के लोगो की समझाईस से इस आशय का राजीनामा कर लिया है कि सरहद मौजा निमाज चक संख्या दो में स्थित ख.नं. 1718/1 रकबा 36.16 बिस्वा आई हुई है उक्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से में 07 बीघा 05 बिस्वा 6.10 बिस्वांसी तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में चार बीघा भूमि रहेगी। इसी माफिक मौके पर खेतों के पत्थर गड्डी भी कर दी है तथा काबिज हो गये हैं। उक्त भूमि खारचिया बेरे की हैं। सरहद मौजा निमाज चक संख्या दो में स्थित ख.नं. 1719/1 रकबा 18.02 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या एक रामलाल का 1/3 हिस्सा है, जो उसके पिता ने जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र के दान कर दी तथा जिसके आधार पर जरिए म्युटेशन संख्या 648 दिनांक 06.12.2007 को प्रतिवादी संख्या एक के नाम जमाबन्दी में ही दर्ज हो गई, इस भूमि का कोई विवाद नहीं हैं। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा पृथक से दिनांक 08/01/2015 को ही तस्दीक कर सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादी ने माफिक राजीनामा दिनांक 08/01/2015 उक्त वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं, जिसकी बहस जबाब में वकील प्रतिवादी सं0 1 ने स्वीकारोक्ति व्यक्त कर वाद माफिक राजीनामा डिक्री किये जाने में सहमति दी हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर राजीनामा तथा बहस वकुलाय पर गौर किया गया। वस्तुतः माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। माफिक राजीनामा इसी अनुसार मौके पर स्वीकारोक्ति होने से बंटवाड़े की कोई पृथक से आवश्यकता नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बैनारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा दिनांक 08/01/2015 डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–चक नम्बर–2 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718/1 रकबा 33–16 बीघा में वादी को 7 बीघा 05 बिस्वा 6–10 बिस्वांसी किस्म चा0दो0 भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 4–00 बीघा बा0दो0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल को रजिस्टर्ड दान–पत्र के जरिए खसरा नम्बर 1791/1 रकबा 18–02 बीघा के 1/3 हिस्से की दी गई दान की गई भूमि का नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 06/12/2007 के जरिए किये गये इन्द्राज तथा शेष इन्द्राजात यथावत रहेगें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

इजलास अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

बनाम

वादी :-

मुकनाराम पुत्र धोकलराम
जाति-कुम्हार, निवासी -बेरा
बागायत निमाज तह0-जैतारण
(जिला-पाली) राज0

प्रतिवादीगण :-

1. रामलाल पुत्र धोकलराम
2. नेमाराम पुत्र मादूराम
3. रमेश पुत्र मादुराम
   नाबालिग जरिए कुदरती
   वलीया माता माडकी
4. ढगलाराम पुत्र छगाराम
5. मांगीलाल पुत्र छगाराम
6. केलकी पत्नी छगाराम
7. बगदीया पुत्र भीका
8. मोहन पुत्र भीका
   जातियान-कुमावत
   निवासीगण-निमाज
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
9. तहसीलदार, जैतारण
   जिला-पाली (राज0)

मु0न0 :रा0वा0स0:123/2008

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरीश्री राजीव लोचन चारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा दिनांक 08/01/2015 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निमाज-चक नम्बर-2 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718/1 रकबा 33-16 बीघा में वादी को 7 बीघा 05 बिस्वा 6-10 बिस्वांसी किस्म चा0दो0 भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 4-00 बीघा बा0दो0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल को रजिस्टर्ड दान-पत्र के जरिए खसरा नम्बर 1791/1 रकबा 18-02 बीघा के 1/3 हिस्से की दी गई दान की गई भूमि का नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 06/12/2007 के जरिए किये गये इन्द्राज तथा शेष इन्द्राजात यथावत रहेगें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
बैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा	१	००
स्टाम्प वकालतनामा	१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	४	००	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	६	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः–	१३	००	मिजानः–	१	००

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner